

राजस्थान विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2018

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) सचिव, राजस्थान विधान सभा, गत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे, जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

(ख) अध्यादेश

(I) श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री, राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-1) सदन की मेज पर रखेंगे।

(II) श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-2) ; एवं

2- राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-3)

(III) श्री श्रीचंद कृपलानी, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-4) सदन की मेज पर रखेंगे।

(IV) श्रीमती किरण माहेश्वरी, उच्च शिक्षा मंत्री, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-5) सदन की मेज पर रखेंगी।

(ग) प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

(I) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) ; एवं

(II) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

2. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करेंगे ।

3. विधायी कार्य

पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-18)

"राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-3) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी ।

(II) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर
(संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-20)

"राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-2) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी ।

(III) राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान माल और सेवा कर
(संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-28)

"राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(IV) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-
लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-25)

"राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी ।

**(V) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन)
(संशोधन) विधेयक, 2018**

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों
तथा सदस्यों की परिलब्धियां और
पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-21)

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(VI) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-27)

"राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(VII) जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018

- (I) श्री श्रीचंद कृपलानी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-24)

"जयपुर नगरीय क्षेत्र में जलप्रदाय और मलवहन प्रणाली के प्रबंध के लिये जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड की स्थापना और निगमन और उससे संसक्त और आनुषंगिक मामलों के लिये उपबंध करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-4) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(VIII) डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान
आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
(संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-15)

"डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(IX) राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-14)

"निजी विश्वविद्यालयों की विधियों को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(X) अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-17)

"राजस्थान राज्य में अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(XI) श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-19)

"राजस्थान राज्य में श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(XII) श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-23)

"राजस्थान राज्य में श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(XIII) लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी
(अलवर) विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-22)

"राजस्थान राज्य में लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) की स्थापना और निगमन के लिये और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

(XIV) जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्रीमती किरण माहेश्वरी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी :-

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान
संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-26)

"जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगी।

- (III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्यांक-5) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगी ।

(XV) राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018

- (I) श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान वन (संशोधन)
विधेयक, 2018
(2018 का विधेयक संख्या-29)

"राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

4. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी :-

1. श्री अटल बिहारी वाजपेयी - पूर्व प्रधानमंत्री ।
2. श्री सोमनाथ चटर्जी - पूर्व लोकसभाध्यक्ष ।
3. श्री बलराम दास टण्डन - राज्यपाल, छत्तीसगढ़ ।
4. श्रीमती उर्मिला सिंह - पूर्व राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।
5. डॉ० एम. करुणानिधि - पूर्व मुख्यमंत्री, तमिलनाडु ।
6. श्री आर.के. दोरेन्द्र सिंह - पूर्व मुख्यमंत्री, मणिपुर ।
7. राजमाता कृष्णा कुमारी - पूर्व सांसद, पांचवी लोकसभा ।
8. श्री धर्मपाल चौधरी - सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा।
9. श्री टीकमचन्द्र कान्त - पूर्व सदस्य, छठी, नवीं, दसवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा।
10. श्री रामकिशन वर्मा - पूर्व सदस्य, सातवीं, आठवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
11. श्री बनवारी लाल भिण्डा - पूर्व सदस्य, दसवीं राजस्थान विधान सभा ।
12. श्री प्रेम सिंह दहिया - पूर्व सदस्य, नवीं राजस्थान विधान सभा।
13. श्री जगन सिंह - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
14. श्री छीतरलाल आर्य - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
15. श्री शंकर लाल जाट - पूर्व सदस्य, तीसरी, चौथी एवं पांचवी राजस्थान विधान सभा ।
16. श्री हरिसिंह - पूर्व सदस्य, चौथी एवं पांचवी राजस्थान विधान सभा ।
17. श्री रामचन्द्र - पूर्व सदस्य, तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधान सभा ।
18. श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल - पूर्व सदस्य, तीसरी राजस्थान विधान सभा ।
19. केरल एवं देश के अन्य भागों में आई भयंकर बाढ़ के मृतक ।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 04 सितम्बर, 2018